पिछले 15 साल से जगतपुरा के महल रोड स्थित 7 नंबर बस स्टेंड चौराहे की एक ही जगह पर चल रही थी दो भिन्न-भिन्न शराब लाईसेंसियों की दो अलग-अलग शराब की दुकाने!!!

अब इन्ही दोनों लोकेशन्स पर एक लाइसेन्स पर दो शराब की दुकाने चला रहा शहर का दबंग ठेकेदार!!!

जयपुर शहर दक्षिण-पूर्व मे स्थित लाईसेन्सी राजवीर सिंह द्वारा गत वर्ष से संचालित और राहुल शर्मा की नई कम्पोजीट शराब की दुकानों की लोकेशन का मामला

इलाके मे बादशाहत कायम करने के लिए नहीं लगने दे रहा सड़क के दूसरी तरफ 100 मीटर दूरी पर भी शराब की दुकान!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्ध्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/15 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 23 जून 2022

कागजी जन-आक्रोश का आबकारी विभाग बना रहा बहाना!!

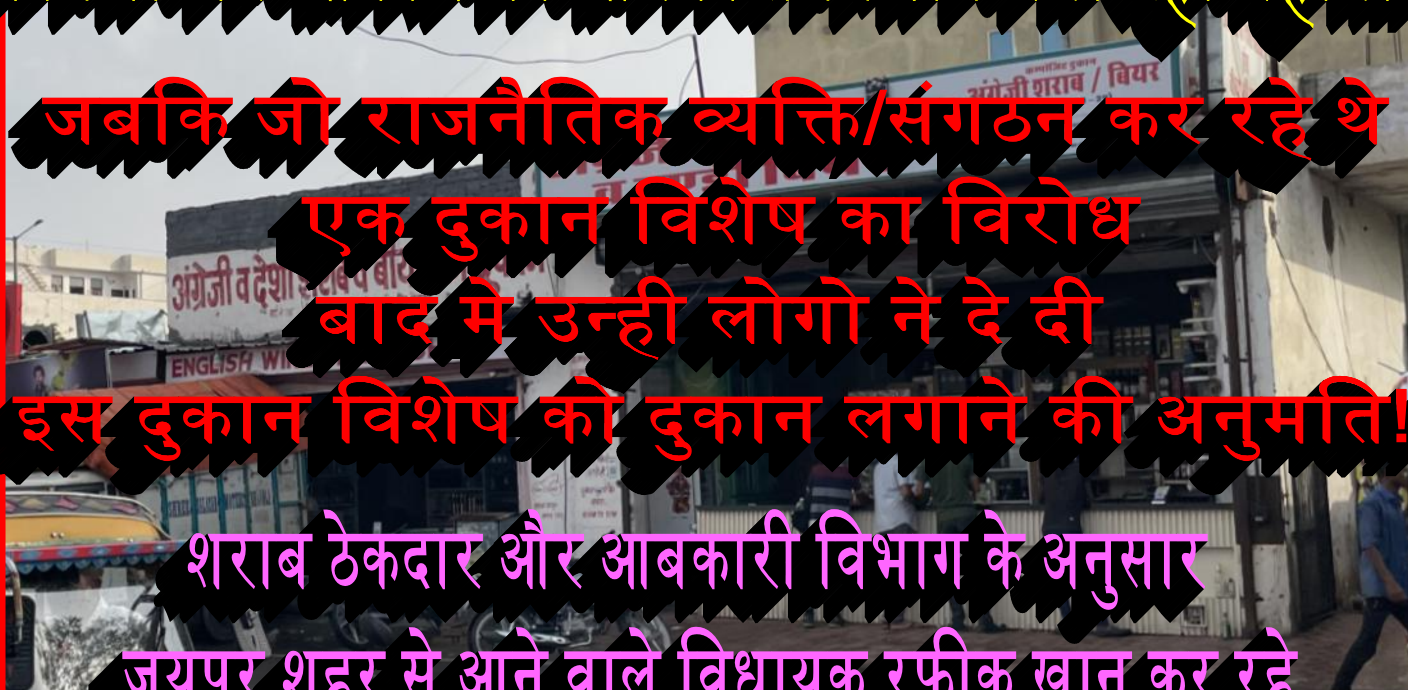

जबकि जो राजनैतिक व्यक्ति/संगठन कर रहे थे एक दुकान विशेष का विरोध बाद मे उन्ही लोगो ने दे दी इस दुकान विशेष को दुकान लगाने की अनुमति!!

शराब ठेकदार और आबकारी विभाग के अनुसार जयपुर शहर से आने वाले विधायक रफीक खान कर रहे बगरु विधानसभा मे लग रही दूसरी शराब की दुकान का विरोध!!!

आबकारी विभाग के मंत्री-संत्री सब दबंग ठेकेदार के सामने नतमस्तक!!!

सिस्टम से परेशान शराब ठेकेदार ने दुकान सरेंडर करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राब दुकानों पर विवाद: ठेकेदारों का आरोप- पहले दबाव बनाकर बोली लगवाई, अब लोकेशन पास करने में ना-नुकर

जहां आमजन का विरोध वहां दुकान खोलने की मंजूरी और जहां विरोध नहीं वहां दबाव में परमिशन नहीं दे रहे

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

राब दुकानों की लोकेशन पास रने में आबकारी विभाग पिक एंड ूज की नीति अपना रहा है। बड़ी ोली लगाकर दुकानें छुड़वाने वाले केदारों के दबाव में अधिकारी छोटी शि वाली दुकानों की लोकेशन पास हीं कर रहे, जबकि इन ठेकेदारों ने रोहर राशि, लाइसेंस फीस और रंटी राशि तक जमा करवा दी। ऐसे रीब 9 शराब ठेकेदारों ने दुकान रेंडर करने के लिए आवेदन कर दया लेकिन विभाग ने दुकान सरेंडर प्लीकेशन भी स्वीकृत नहीं कर रहा, बकि इनकी लोकेशन मंदिर, स्कूल भी दूर है और कोई जनविरोध भी हीं है। दूसरी ओर जिन दुकानों को कर स्थानीय निवासियों का विरोध , वहां विभाग दुकानें खुलवाने ामदा हो रहा है। यहां तक की भाग ने कई जगह तो नियम विरूद्ध स्थाई थड़ियों में दुकानें खोलने की रमिशन दे दी।

जगतपुरा : जहां 4 करोड़ की दुकान, वहां 2.5 करोड़ की दुकान को परमिशन नहीं दे रहे

जगतपुरा में 7 नम्बर स्टैंड पर शराब ठेकेदार ने 2.5 करोड़ दुकान नीलामी में छुड़वाई। जब ठेकेदार ने दुकान लोकेशन स्वीकृति के आवेदन किया तो विभाग ने स्थानीय व्यापार मंडल के विरोध का हवाला देते हुए लोकेशन परमिशन नहीं दी। जबकि ठेकेदार ने व्यापार मंडल और स्थानीय पार्षद की सहमति तक पेश कर दी। ठेकेदार का आरोप है कि इसके पास में स्थित दुकान की बोली 4 करोड़ रुपए लगी थी। विभाग बड़े ठेकेदारों और शहर के एक विधायक के दबाव में इस दुकान को प्रमोट कर दूसरी दुकान को मंजूरी नहीं दे रहे। जबकि यहां कोई विरोध नहीं है और पहले भी यहां दुकान चल रही थी। शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां 4 करोड़ रुपए की दुकानों के पास ही 2 से 2.5 करोड़ रु. तक की दुकानें खुली हुई हैं।

रामनगरिया : आमजन का विरोध, फिर भी शराब दुकान की परमिशन दे दी

रामनगरिया स्थित रघुनंदन विहार में शराब दुकान खोलने

से पहले ही स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया। आमजन के विरोध को नजरअंदाज कर शराब दुकान खोलने की मंजूरी दे दी। ठेकेदार ने सोमवार से यहां दुकान का शटर आधा कर शराब बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आबकारी अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने अनसुना कर दिया।

झोटवाड़ा : इधर... रीको एरिया में थड़ी में ही शराब की दुकान खोल दी

नियमानुसार रीको एरिया में शराब दुकान नहीं खोली जा सकती, लेकिन आबकारी अधिकारियों ने झोटवाड़ा

इंडस्ट्रीयल एरिया में एक थड़ी में शराब दुकान लोकेशन मंजूर कर दी। पहले यहां अवैध रूप से शराब बिकती थी, अब इसी जगह अस्थाई थड़ी में शराब दुकान खोल दी गई। यहां देर रात तक शराब बेची जाने की भी शिकायत है।

इनका कहना है

- *नियमानुसार ही शराब दुकानों की लोकेशन मंजूरी दी जाएगी। स्कूल, मंदिर के पास परमिशन नहीं दे सकते। इसके अलावा ऐसा कोई केस मेरी जानकारी नहीं है, जो दुकानें नियमानुसार सही है उन्हें परमिशन मिलेगी। मेरे पास शिकायत आती है तो दिखाएंगे।*- **परसादी लाल मीना,** आबकारी मंत्री
- *जहां जनविरोध है, वहां लोकेशन स्वीकृत नहीं की जा रही । जिन दुकानों को लेकर विरोध नहीं है, वहां मंजूरी नहीं देने जैसी कोई बात नही है। ऐसे मामलों को दिखवा रहे है।* **-एमडी मीना,** जिला आबकारी अधिकारी

क्या है आबकारी विभाग द्वारा एक दबंग शराब ठेकेदार के पक्ष मे दूसरे शराब ठेकेदार की दुकान नहीं लगने देने का मामला?

यूं तो जयपुर शहर मे हर साल वित्तीय वर्ष शुरू होते ही शराब की दुकान की लोकेशनों को लेकर शराब ठेकेदार आपने सामने हो जाते है,लेकिन अधिकांश मामलो मे आबकारी विभाग की सूझ-बुझ से विरोधी ठेकेदारो को बैठाकर मामलो को सुलझा दिया जाता है|

लेकिन आज जो मामला सामने आया है इसमे एक तरफ तो आबकारी विभाग शराब ठेकेदार को करोड़ो के राजस्व के नुकसान बाबत नोटिस देकर,शराब ठेकेदार को शराब की दुकान लगाने का दबाव बना रहा है|लेकिन जब शराब ठेकेदार लोकेशन लगाने के लिए आवेदन करता है तो उसे जनाक्रोश का हवाला देकर उस लोकेशन पर शराब की दुकान लगाने से इंकार कर देता है जबकि इसी दुकान से 100 मीटर आगे चौराहे के दूसरी तरफ दो दुकानों मे एक ही शराब लाईसेन्सी दुकान चला रहा है|

विभाग की इस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से जहां एक और विभाग की जमकर फजीती हो रही है,वहीं दूसरी और विभाग की एक ठेकेदार विशेष से मिलीभगत करके राजस्व को जानबूझ कर नुकसान पहुचाने की करतूत सामने आ रही है|यह मामला रोचक इसलिए हो गया है कि इस मामले मे इलाके के जो राजनैतिक व्यक्ति/संगठन पहले एक दबंग शराब ठेकेदार के पक्ष मे लामबंद हो कर,दूसरे ठेकेदार की लगने वाली शराब की दुकान का विरोध कर रहे थे,मामले की असलियत सामने आने के बाद नए ठेकेदार के पक्ष मे सामने आ रहे है|लेकिन फिर भी आबकारी विभाग कागजी जनाक्रोश और कोसो दूर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले विधायक का विरोध बताकर नयी शराब की दुकान की लोकेशन मंजूर करने से इंकार कर रहा है|

पिछले 15 साल से जगतपुरा की महल रोड पर स्थित 7 नंबर बस चौराहे की एक ही लोकेशन पर चल रही थी दो भिन्न-भिन्न शराब लाईसेंसियों की शराब की दुकाने!!!

जगतपुरा की महल रोड पर स्थित 7 नंबर बस चौराहे पर स्थित लोकेशन पर पिछले 15 साल से पास-पास की दो दुकानों मे भिन्न-भिन्न शराब लाईसेंसियों की शराब की दुकाने संचालित होती आई है|चूंकि 7 नंबर बस चौराहा जगतपुरा के व्यस्ततम इलाको मे से एक है और इसी के चलते इन दोनों दुकानों को लेने के लिए शहर के शराब ठेकेदारो मे होड मचती है|लेकिन पिछले दो सालो से शहर के एक दबंग ठेकेदार ने इन दोनों दुकानों को अपनी बपौती बना रखा है और अपनी दबंगई के चलते इन दोनों भिन्न-भिन्न दुकानों मे एक ही लाइसेन्स से दो शराब की दुकाने चला कर स्थानीय जनता को गुमराह कर रहा है **इलाके मे बादशाहत कायम करने के लिए नहीं लगने दे रहा सड़क के दूसरी तरफ 100 दूर भी शराब की दुकान!!!**

आबकारी विभाग जयपुर शहर के वृत दक्षिण-पूर्व के वार्ड संख्या 116,117(G) मे लाईसेन्सी राजवीर सिंह को जगतपुरा की महल रोड पर स्थित 7 नंबर बस चौराहे पर एक कम्पोजीट शराब की दुकान आवंटित की गयी है|लाईसेन्सी राजवीर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष मे यह दुकान 3.5 करोड़ गारंटी मे छुड़ायी गयी थी|

इस वृत मे आने वाली एक अन्य दुकान को एक अन्य लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा दिनांक 18 मई को हुई नीलामी मे 2.27 करोड़ मे छुड़ायी गयी|दुकान छुड़ाने के बाद लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा फीस और अन्य मदो के पेटे 12.5% राशि जमा करवा करवा दी गयी|

इसके बाद लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा स्थानीय वृत आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेड़ा को 7 नंबर बस स्टेंड,महल रोड पर लाईसेन्सी राजवीर सिंह की लोकेशन से 100 मीटर दूर,चौराहे के दूसरी तरफ स्थित **बेनाडा फर्नीचर** के नाम से प्रसिद्ध एक दुकान की विजिट करवायी गयी,विजिट के पश्चयात आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेड़ा ने **बेनाडा फर्नीचर** पर लाईसेन्सी राहुल शर्मा को शराब की दुकान लगाने की मौखिक स्वीकृति दे दी और ऑनलाइन आवेदन करने को कहा|आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेड़ा की मौखिक स्वीकृति पर लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा मकान मालिक से रजिस्टर्ड किरायानामा कर, 180000 रुपए किराए पेटे भी दे दिया|लेकिन जब लाईसेन्सी राहुल शर्मा ने ऑनलाइन आवेदन किया तो यह कह कर उनकी लोकेशन निरस्त कर दी गयी कि इस लोकेशन पर जनाक्रोश है अतः 2022-23 के अगले दो वित्तीय वर्षो तक इस लिकेशन पर शराब की दुकान स्वीकृत नहीं की जा सकती|

लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा इस लोकेशन पर स्वीकृति चाही जा रही है लेकिन आबकारी विभाग जन-आक्रोश और जन प्रतिनिधियों के दबाव का बहाना बनाकर,देने से इंकार कर रहा है|

लाईसेन्सी राजवीर सिंह की पहले से स्वीकृत दुकान,जिसमे आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से एक लाइसेन्स पर दो नजदीक की दुकाने चलायी जा रही है|

कागजी जन-आक्रोश का आबकारी विभाग बना रहा बहाना!!जबकि जो राजनैतिक व्यक्ति/संगठन कर रहे थे एक दुकान विशेष का विरोध बाद मे उन्ही लोगो ने दे दी इस दुकान विशेष को दुकान लगाने की अनुमति!!

जब लाईसेन्सी राहुल शर्मा ने इसका विरोध किया तो आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेड़ा ने स्थानीय पार्षद और जगतपुरा व्यापार मण्डल की शिकायत पर यह कार्यवाही करने की बात बताई|इस पर लाईसेन्सी राहुल शर्मा ने स्थानीय पार्षद और जगतपुरा व्यापार मण्डल से संपर्क कर उनसे उनके विरोध का कारण पूछा तो बताया कि हमे तो राजवीर सिंह और उनके सेल्समेनो ने बदमाश लोगो द्वारा ठेका छुड़वाने की अफवाह फैलाकर गुमराह कर दिया था यदि आप लोग इस दुकान को लगाते हो तो हमे कोई एतराज नहीं है|यह बात जगतपुरा व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर भी बता दी|लेकिन इसके बावजूद दुबारा ऑनलाइन आवेदन करने पर आबकारी निरीक्षक ने लोकेशन स्वीकृत नहीं की और पुनः जनाक्रोश का बहाना बना दिया गया|

जब इस बाबत लाईसेन्सी राहुल शर्मा ने पुनः आबकारी निरीक्षक से बात की तो उन्होने जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा का हवाला देकर उनसे मिलने को कहा|जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा से मुलाक़ात करने पर उनके द्वारा खुलासा किया गया कि राजवीर सिंह की दुकान का संचालन मुश्ताक और युनूस नामक ठेकदार करते है जो कि जयपुर शहर से आने वाले विधायक श्री रफीक खान के निजी रिश्तेदार है और उनके कहने पर ही इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत नहीं की जा रही है|

आबकारी विभाग के मंत्री-संत्री सब दबंग ठेकेदार के सामने नतमस्तक!!!

आबकारी विभाग की तानाशाही और मनमानी के व्यथित होकर लाईसेन्सी राहुल शर्मा अब तक विभाग के आला अधिकारियों जैसे विभाग के आयुक्त,प्रमुख शासन सचिव से लेकर राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों/मंत्रियो जैसे रफीक खान,प्रताप सिंह खाचरियावास,लालचंद कटारिया,राजकुमार शर्मा और विभाग के मंत्री परसादी लाल मीणा तक से मिलकर अपनी व्यथा सुना चुके है लेकिन उनके आश्वासनों के बावजूद अब तक जिला आबकारी अधिकारी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए है और लाईसेन्सी राहुल शर्मा की बेनाडा फर्नीचर वाली लोकेशन स्वीकृत नहीं कर रहे है|

लाईसेन्सी पर दबाव बनाने के लिए आबकारी विभाग कर रहा नोटिस पर नोटिस जारी

आपको बता दें कि लाईसेन्सी पर दबाव बनाने के लिए आबकारी विभाग नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है अपने दिनांक 01/06/2022,और दिनांक 20/06/2022 के नोटिसो मे जिला आबकारी अधिकारी द्वारा राजस्व की भारी हानि का हवाला देकर, नयी लोकेशन लगाने की बात कह रहे है वही अपने दिनांक 23/06/2022 के लंबे चौड़े नोटिस मे तथाकथित कागजी जन आक्रोशों का हवाला देकर,3 दिन मे नयी लोकेशन लगाने अन्यथा लाइसेन्स निरस्त करने की चेतावनी दी गयी है|

क्या विभाग के मंत्री परसादी लाल मीणा लेंगे इस हाई प्रोफाइल मामले मे संज्ञान

अब देखना यह है कि इस हाई प्रोफाइल मामले मे विभाग के मंत्री परसादी लाल मीणा संज्ञान लेते है या नहीं ,वैसे इस मामले मे भास्कर को दिये इंटरव्यू मे मंत्री महोदय ने नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है|

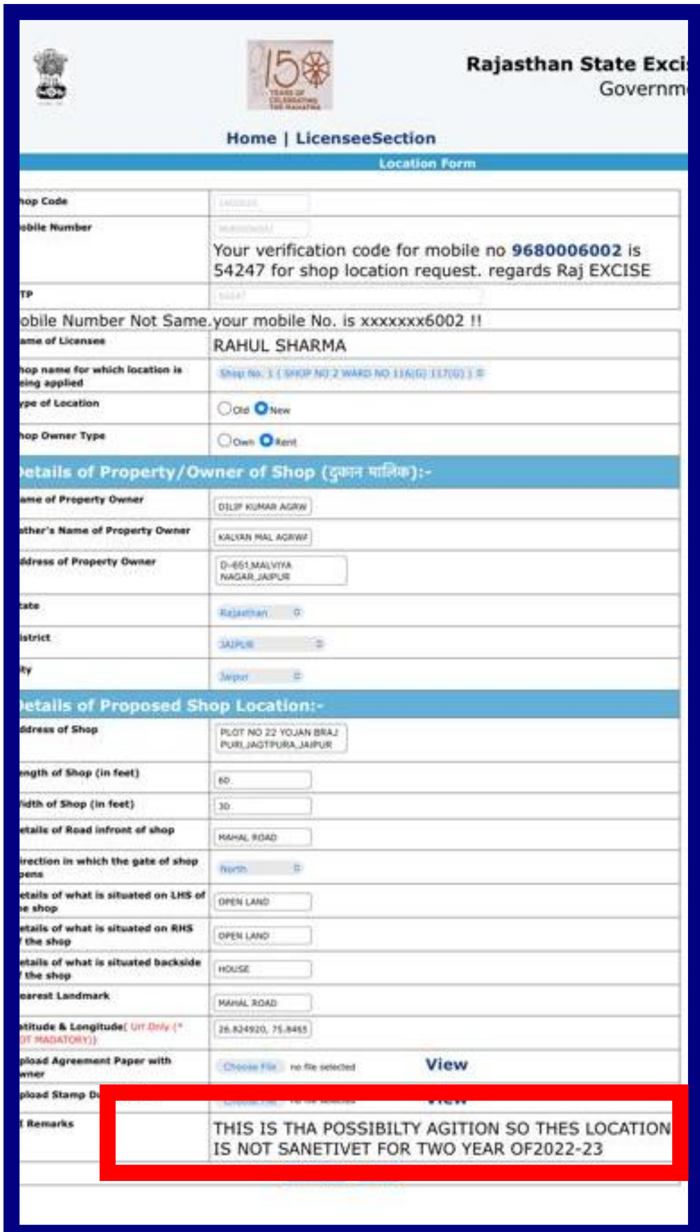

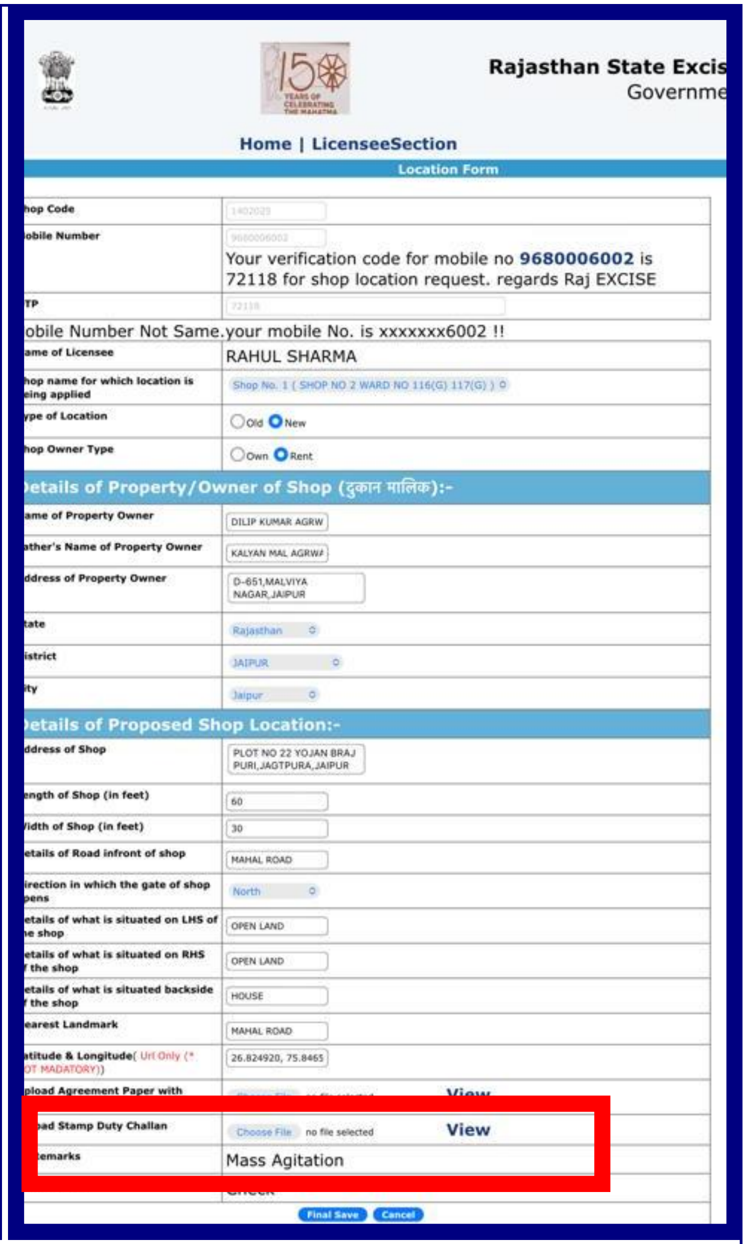

लाईसेन्सी राहुल शर्मा के ऑनलाइन आवेदन पर विभाग द्वारा जनाक्रोश का दिया गया हवाला

व्यापार करो सम्मान से, व्यापारी रहे स्वाभिमान से।

Regd. No.: 201495

जगतपुरा व्यापार मण्डल

पता : 190, महादेव नगर, रामनगरिया रोड़, जगतपुरा, जयपुर

संरक्षक	संरक्षक	अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
रोशन लाल करोल	अर्जुन यादव	रामफुल चौधरी	योगेश गोयल	हरिओम महरवाल
मो.: 9314503989	मो.: 9828182768	मो.: 9610500666	मो.: 7790905572	मो.: 9314010922

मुख्य विधि सलाहकार :
अजय कुमार (एडवोकेट)
उपाध्यक्ष :
रामवीर मदेरणा
ओम केमला
आलोक कुमार गुप्ता
रामअवतार शर्मा
(टमाटर वाले)
प्रकाश झालाणी
कृष्ण अवतार गुप्ता
राजेन्द्र चौधरी
सोहनलाल पुनिया
छुट्टन लाल शर्मा
बाबूलाल चौधरी
रमेश बामणिया
दिनेश बागड़ा
रामकिशोर चौधरी
सचिव :
चन्द्रप्रकाश माहेश्वरी
रामजीलाल चौधरी
विकास खण्डेलवाल
संयुक्त सचिव :
कानाराम चौधरी
राजेन्द्र प्रधान
सतीश पालीवाल
कार्यकारीणी सदस्य :
मूलचन्द चौधरी
मनोज ताम्बी

क्रमांक : 193 दिनांक : ....

सेवामे,

श्रीमान अशोक गहलोत साहब

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय:- 7 नंबर स्टैंड जगतपुरा जयपुर में शराब दुकान खुलने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 7 नंबर स्टैंड जगतपुरा में एक शराब दुकान पूर्व में चल रही है जिस पर हरदम जमघट लगा रहता है। अब सुनने में आ रहा है कि पूर्व में प्रताप नगर पानी की टंकी के पास संचालित शराब की दुकान यहाँ स्थानांतरित हो रही है। महोदय ऐसा होने पर पास में 2 मंदिर 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं हर वक्त कॉलोनी की महिलाओं को असुरक्षित आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाएगा कॉलोनी वासियों ने उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को अविलंब निर्देशित करे कि उक्त दुकान जो अनुज्ञाधारी राहुल शर्मा की है पूर्ववत चौपाटी प्रताप नगर ही संचालित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रतिलिपि:-
श्री परसादी लाल मीणा मंत्री आबकारी
श्रीमती गंगा देवी विधायक बगरू
श्री प्रकाश राजपुरोहित आयुक्त आबकारी
श्री राकेश शर्मा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी
श्री मातादीन मीणा जिला आबकारी अधिकारी ज
श्रीमती प्रियंका खेड़ा वृत्त निरीक्षक आबकारी

E1 South East
24/5/22

वास्ते जगतपुरा व्यापार मण्डल
रामफुल
अध्यक्ष

वास्ते जगतपुरा व्यापार मण्डल
योगेश अग्रवाल
महासचिव

जगतपुरा व्यापार मण्डल द्वारा अपने पत्रांक 193 द्वारा लाईसेन्सी राहुल शर्मा की दुकान का विरोध किया गया

Regd. No.: 201495

व्यापार करो सम्मान से, व्यापारी रहे स्वाभिमान से।

जगतपुरा व्यापार मण्डल

पता : 190, महादेव नगर, रामनगरिया रोड़, जगतपुरा, जयपुर

संरक्षक	संरक्षक	अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
रोशन लाल करोल	अर्जुन यादव	रामफुल चौधरी	योगेश गोयल	हरिओम महरवाल
मो.: 9314503989	मो.: 9828182768	मो.: 9610500666	मो.: 7790905572	मो.: 9314010922

मुख्य विधि सलाहकार :
अजय कुमार (एडवोकेट)
उपाध्यक्ष :
रामवीर मदेरणा
ओम केमला
आलोक कुमार गुप्ता
रामअवतार शर्मा
(टमाटर वाले)
प्रकाश झालाणी
कृष्ण अवतार गुप्ता
राजेन्द्र चौधरी
सोहनलाल पूनिया
छुट्टन लाल शर्मा
बाबूलाल चौधरी
रमेश बामणिया
दिनेश बागड़ा
रामकिशोर चौधरी
सचिव :
चन्द्रप्रकाश माहेश्वरी
रामजीलाल चौधरी
विकास खण्डेलवाल
संयुक्त सचिव :
कानाराम चौधरी
राजेन्द्र प्रधान
सतीश पालीवाल
कार्यकारीणी सदस्य :
मूलचन्द चौधरी
मनोज ताम्बी

क्रमांक : 194

दिनांक : 26-5-22

सेवामें
श्रीमान अशोक गहलोत साहब
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– 7 नम्बर बस स्टेण्ड जगतपुरा जयपुर में शराब दुकान खुलनें बाबत।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 7 नम्बर बस स्टेण्ड जगतपुरा में एक शराब दुकान पूर्व में चल रही है। उसका मालिक मेरे पास आया और हमें गुमराह करके हमारे व्यापार मंडल लेटर पेड पर राहुल शर्मा पुत्र शंकर लाल शर्मा के नाम से जो नई शराब की दुकान खुल रही है, उसकी आपत्ति लिखवाकर ले गया। जो कि हमें इस दुकान में कोई आपत्ति नहीं है यहां पिछले 10 वर्षो से 2 शराब दुकान चलती आ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि राहुल शर्मा जी बहुत सज्जन एंव प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर यह 7 नम्बर बस स्टेण्ड जगतपुरा पर शराब की दुकान खोलते है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस दुकान को खोलनें की अनुमति दें।

धन्यवाद!

प्रतिलिपिः–
श्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री आबकारी।
श्रीमती गंगा देवी विधायक बगरू।
श्री प्रकाश राजपुरोहित आयुक्त आबकारी।
श्री राकेश शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी।
श्री मातादीन मीणा जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर।
श्रीमती प्रियंका खेडा, वृत्त निरीक्षक आबकारी।

जगतपुरा व्यापार मण्डल द्वारा अपने पत्रांक 194 द्वारा लाईसेन्सी राहुल शर्मा की दुकान का किया गया समर्थन

वास्ते जगतपुरा व्यापार मण्डल
रामफुल
अध्यक्ष

वास्ते जगतपुरा व्यापार मण्डल
योगेश अग्रवाल
महासचिव

जयपुर नगर निगम, जयपुर

...ती श्रवणी देवी
पार्षद
वार्ड नं. 116, जयपुर

भारतीय जनता पार्टी

कार्यालय...
264/183, सेक्टर – 2...
प्रताप नगर, जयपुर –30203...
मो.: 7014315123 (...
9314602847 (...

: प.क्र. निजी./116/2020/125 दिनांक : 21-05-2...

[illegible],

सेवामें,

श्रीमान अशोक गहलोत साहब

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।

विषयः- 7 नंबर स्टैंड जगतपुरा जयपुर में शराब दुकान खुलने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 7 नंबर स्टैंड जगतपुरा में एक शराब दुकान पूर्व में चल रही है जिस पर हरदम जमघट लगा रहता है। अब सुनने में आ रहा है कि पूर्व में प्रताप नगर पानी की टंकी के पास संचालित शराब की दुकान यहाँ स्थानांतरित हो रही है। महोदय ऐसा होने पर पास में 2 मंदिर 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं हर वक्त कॉलोनी की महिलाओं को असुरक्षित आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाएगा कॉलोनी वासियों ने उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को अविलंब निर्देशित करें कि उक्त दुकान जो अनुज्ञाधारी राहुल शर्मा की है पूर्ववत चौपाटी प्रताप नगर ही संचालित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

[हस्ताक्षर]
श्रवणी देवी
पार्षद वार्ड– 116
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :
श्री परसादी लाल मीणा मंत्री आबकारी
श्रीमती गंगा देवी विधायक बगरू
श्री प्रकाश राजपुरोहित आयुक्त आबकारी
श्री राकेश शर्मा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी
श्री [illegible] मीणा जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर
श्रीमती [illegible] निरीक्षक आबकारी

पार्षद श्रवणी देवी द्वारा अपने पत्रांक 125 द्वारा लाईसेन्सी राहुल शर्मा की दुकान का किया गया विरोध

श्रीमती श्रवणी देवी
पार्षद
वार्ड नं. 116, जयपुर

जयपुर नगर निगम, जयपुर

भारतीय जनता पार्टी

कार्यालय :
264/183, सेक्टर – 26,
प्रताप नगर, जयपुर –302033,
मो.: 7014315123 (O)
9314602847 (R)

क्रमांक : ज.न.G./116/2020/126

दिनांक : 26-5-22

सेवा में

श्रीमान अशोक गहलोत साहब

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– 7 नम्बर बस स्टेण्ड जगतपुरा जयपुर में शराब दुकान खुलनें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 7 नम्बर बस स्टेण्ड जगतपुरा में एक शराब दुकान पूर्व में चल रही है। उसका मालिक मेरे पास आया और मुझे गुमराह करके मेरे लेटर पेड पर राहुल शर्मा पुत्र शंकर लाल शर्मा के नाम से जो नई शराब की दुकान खुल रही है, उसकी आपत्ति लिखवाकर ले गया। जो कि मैं इस आपत्ति को खारिज करती हूँ, यहां पिछले 10 वर्षो से शराब की दो दुकान चलती आ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि राहुल शर्मा जी बहुत संज्जन एंव प्रतिष्ठत व्यक्ति है। अगर यह 7 नम्बर बस स्टेण्ड जगतपुरा पर शराब की दुकान खोलते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस दुकान को खोलनें की अनुमति दें।

धन्यवाद!

श्रवणी देवी
पार्षद वार्ड– 116
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपिः–

श्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री आबकारी।

श्रीमती गंगा देवी विधायक बगरू।

श्री प्रकाश राजपुरोहित आयुक्त आबकारी।

श्री राकेश शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी।

श्री मातादीन मीणा जिला आबकारी अधिकारी जयपुर श

श्रीमती प्रियंका खेड़ा, वृत्त निरीक्षक आबकारी।

पार्षद श्रवणी देवी द्वारा अपने पत्रांक 126 द्वारा लाईसेन्सी राहुल शर्मा की दुकान का किया गया समर्थन

दिनांक 13.6.2022

श्रीमान् आबकारी आयुक्त
राजस्थान उदयपुर

विषय :– ग्रेटर वार्ड नं 116–117 की दुकान संचालन करवानें बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 18.05.2022 को बिड में अधिक बोली लगाकर ग्रेटर वार्ड नं 116–117 की मदिरा दुकान 2,26,54,271/–रु में मेरे नाम राहुल शर्मा से ली जिसकी दिनांक 23.05.2022 पत्र क्रमांक 3825 जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा स्वीकृति प्रदान की और इस समूह की धरोहर राशि, अग्रिम गारन्टी राशि व वार्षिक लाईसेन्स फीस जमा कराकर लोकेशन प्रस्तुत करने को कहा मैं इस समूह की धरोहर राशि, अग्रिम गांरटी राशि, वार्षिक लाईसेन्स फीस विभाग में जमा करवाकर इस समूह की आबकारी निरिक्षक दक्षिण–पूर्व श्रीमति प्रियंका खेड़ा जी को जो दुकान में लगाना चाहता था व दिखवाकर इनकी स्वीकृति के बाद दुकान मालिक से मिलकर दुकान का किरायानामा मय रजिस्ट्रर्ड करवाकर दुकान मालिक को एड़वास रूपयें 1,80,000/–रु जरिये चैक से देकर दुकान का लोकेसन दिनांक 24/05/2022 को ऑन–लाईन प्रस्तुत किया था व लोकेशन स्वीकृत नहीं किया, तब में आबकारी निरिक्षक वृत्त दक्षिण–पूर्व से मिला, तब उन्होनें ने कहां इस जगह की शिकायत आई हुई है, वहां पर दुकान स्वीकृत नही होगी मैनें कहा मैं तो इस दुकान का लोकेशन पहले आपको दिखाकर आबकारी नियमानुसार ली है आपनें ही तो कहा दुकान लेलो स्वीकृत हो जायेगी तब ली है, और बस स्टेण्ड 7 नम्बर जगतपुरा चौराहा जयपुर पर पहले से दो दुकान चलती आ रही है एक राजवीर सिंह ने ले रखी है, इसके पास वाली जो शराब की दुकान चल रही थी वो भी इन्होनें ले ली थी तब मैनें 10–दुकान छोड़कर आबकारी निरिक्षक को दिखाकर ली थी, तब आबकारी निरिक्षक मैडम श्रीमति प्रियंका खेड़ाजी ने कहा वहां के व्यापार मण्डल व स्थानीय पार्षद की शिकायत आई है तब मैं जगतपुरा व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व स्थानीय पार्षद से मिला तो उन्होनें कहा की 07 नम्बर बस स्टेण्ड चौराहें पर शराब की दुकान चला रहा है वह लाईसेन्सी श्री राजवीर सिंह शेखावत व उसका सेल्समैन हमारे पास आये और कहा की हम आपके क्षेत्र में शराब की दुकान चला रहे हमारे पास दूसरी शराब दुकान खुल रही है और वह बाहर के बदमाश लोग है इसलिए आप विरोध कर आपके लेटर पैड़ पर लिखकर दो, तब हमने लिखकर दिया कि शराब लाईसेन्स ने हमसे झूठ बोलकर लिखाकर ले गया हमारा कोई विरोध नहीं है।7 नम्बर बस स्टेण्ड चौराहे पर पिछले 10 वर्षो से 2 दुकान चलती आ रही है आप भी खोलो तब मैनें इनसे कहा आपने तो विरोध किया तब उन्होनें कहा शराब दुकान लाईसेन्सी गलत हमारे लिखाकर ले गया चलो हम आपके साथ चलकर जिला आबाकारी कार्यालय में बोल देते है और लेटर पैड़ सही बात लिख देते है यह लोग जिला कार्यालय में आकर श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी से कहा हमारा कोई विरोध नहीं है, आप तो वहां पर दुकान खुलवाओं इसका सहमति पत्र यह है, डी.ओ साहब ने कहा ठीक है खुलवातें है फिर भी दुकान स्वीकृत नहीं की तब मैं सी.आई साहब से मिला तो उन्होनें कहा डी.ओ साहब से मिलों तब मैं डी.ओ साहब से मिला तब डी.ओ साहब ने कहा आप दुकान बदल लो यहां पर नहीं खोलने के लिए ऊपर से आदेश है, मैनें कहा सर आपके अधिकारियों से कहने पर दुकान ली है, सी.

Rahul

लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा दुकान सरेंडर करने के लिए लिखा गया पत्र

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|

आई. साहब को दुकान दिखाकर लोकेशन प्रस्तुत किया है, और इस समूह की 12.50 प्रतिशत राशि जमा कराई अब आप मना कर रहे हो जो 7 नम्बर बस स्टेण्ड चौराहे पर दुकान चल रही है, राजवीर सिंह शेखावत इसका संचालन श्री मुस्ताक जी, युनुस जी, पार्टनर है, वो कर रहे है, और यह श्रीमान् रफीक खान एम.एल.ए साहब के रिश्तेदार है, और एम.एल.ए साहब ने ही इस स्थल पर दुकान नहीं खोलने के लिये डी.ओ साहब को उच्च अधिकारियों से फोन करवाया है, वहां पर दुकान नहीं लगाने के लिये कहा है, इस लाईसेन्सी व पार्टनरों को फायदा पहुचानें के लिये ऐसा किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है दिनांक 23.05.2022 को आपके आदेश से आज दिनांक 13.06.2022 तक आपने लोकेशन स्वीकृत नहीं किया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत लोकेशन आबकारी नियमानुसार संचालन का मानचित्र पास कर दुकान का संचालन करवाओं नहीं करवातें हो तो इस दुकान का लाईसेन्स केंन्सिल कर मेरी जमा राशि 28,21,785/–रु वापस दिलवाओं क्योंकि इस स्थल पर पिछले 10–वर्षो से दो दुकान आबकारी नियमानुसार चलती आ रही है वहां पर भी आप नहीं लगातें हो और नई जगह कोन खोलने देगें अगर इसकी कोई गांरटी या जुर्माना आता है तों इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।

मेरे द्वारा जमा चालान विवरण निम्न है :–

क्र.स	दिनांक	चालान नं	राशि	विवरण
1.	17.05.2022	62297745	6,38,691	धरोहर राशि
2.	24.05.2022	62563365	4,94,023	धरोहर राशि
3.	24.05.2022	6256464004	11,32,714	अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि
4.	24.05.2022	62564004	5,66,357	वार्षिक लाईसेन्सी राशि

अतः आप इस दुकान को केन्सिल कर मेरे द्वारा जमा राशि वापस दिलवायें या लोकेसन पास कर दुकान का संचालन करवायें इस सम्बन्ध में श्रीमान् आपसे, व अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर से भी मिला वहां पर भी कोई सन्तोष जनक जवाब नहीं मिला आप सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इस दुकान को केन्सिल कर मेरी जमा राशि वापस दिलवाने की कृपा करें।

लाईसेन्सी राहुल शर्मा द्वारा दुकान सरेंडर करने के लिए लिखा गया पत्र जारी

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर शहर
2. श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर

प्रार्थी

Rahul

राहुल शर्मा
पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा
गोविन्दपुरा, जयपुर,
(वार्ड नं 116–117 दुकान नं 02, वर्ष 2022–23)

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व

क्रमांकः– 233 दिनांक 01-6-2022

RAHUL SHARMA
अनुज्ञाधारी देशी मदिरा कम्पोजिट
Shop No 2 Ward no 116(G)117(G) जयपुर नगर निगम
वर्ष 2022–2023

–ःनोटिसः–

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत श्रीमान आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन दुकानों के आवंटन हेतु एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से आयोजित ई–नीलामी में अधिकतम ई–बोली (H1) लगाने के आवेदक होने के फलस्वरूप वर्णित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), विदेशी मदिरा बीयर एवं वाईन की खुदरा कम्पोजिट दुकान Shop No 2 Ward no 116(G) 117(G) वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 में संचालन हेतु निर्धारित राशियां जमा कराने बाबत जिला कार्यालय के पत्रांक **3825** दिनांक **23.05.2022** द्वारा अस्थाई स्वीकृति पत्र जारी करने के फलस्वरूप आप द्वारा निर्धारित वांछित राशियां जमा कराई गई है। जिससे राजकीय राजस्व का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। अतः उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान की लोकेशन किसी निरापद स्थल हेतु विभाग में तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह नोटिस आज दिनांक 01-6-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया।

आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व
दिनांक

क्रमांकः–
प्रतिलिपिः–श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व

आबकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 01/06/2022 को दिया गया नोटिस

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व

क्रमांकः– 325 दिनांक 20-6-22

RAHUL SHARMA
अनुज्ञाधारी देशी मदिरा कम्पोजिट
Shop No 2 Ward no 116(G)117(G) जयपुर नगर निगम
वर्ष 2022–2023

–:नोटिसः–

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत श्रीमान आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन दुकानों के आंवटन हेतु एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से आयोजित ई–नीलामी में अधिकतम ई–बोली (H1) लगाने के आवेदक होने के फलस्वरूप वर्णित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन की खुदरा कम्पोजिट दुकान Shop No 2 Ward no 116(G) 117(G) वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 में संचालन हेतु निर्धारित राशियां जमा कराने बाबत जिला कार्यालय के पत्रांक **3825** दिनांक **23.05.2022** द्वारा अस्थाई स्वीकृति पत्र जारी करने के फलस्वरूप आप द्वारा निर्धारित वांछित राशियां जमा कराई गई है, परन्तु उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान की लोकेशन किसी निरापद स्थल हेतु विभाग में प्रेषित नही की गई है, जिससे दुकान का संचालन नही होने से राजकीय राजकीय राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। निरापद स्थल पर लोकेशन प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस क्रमांक 234 दिनांक 01.06.2022 से सूचित किया गया था। अतः आप उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान की लोकेशन किसी निरादप स्थल हेतु विभाग में तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह नोटिस आज दिनांक 20-6-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया।

आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व
दिनांकः

क्रमांकः–
प्रतिलिपिः–श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व

आबकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 20/06/2022 को दिया गया नोटिस

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है।पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है।पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर

दिनांक : 23/6/22

क्रमांक : 6530

श्री राहुल शर्मा
निवासी–63, Bagda Sadan Govindpura Kalwar Road Jaipur
मोबाईल नम्बर–9680006002
ई–मेल rs.bagra@gmail.com
कम्पोजिट मदिरा दुकान
शॉप नं.02 वार्ड नं.116,117
जयपुर नगर निगम ग्रेटर

द्वारा :–आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर **दक्षिण–पूर्व।**

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि ई–निविदा के तहत आप द्वारा शॉप नं.02 वार्ड नं.116,117 जयपुर नगर निगम ग्रेटर की अधिकतम ई–निविदा राशि रू–22654271/– प्रस्तुत करने पर आपको उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान का वर्ष 2022–23 के लिए जरिये स्वीकृति क्रमांक 3825 दिनांक 23.05.2022 से आवंटन किया गया था।

आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर दक्षिण–पूर्व ने पत्र क्रमांक 342 दिनांक 22.06.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि आप द्वारा उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिए **प्लाट नं0 22 योजना ब्रजपुरी जगतपुरा जयपुर** का ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट पर स्थल मानचित्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उक्त स्थल पर भारी जनाक्रोश को देखते हुए प्रस्तावित लोकेशन को ऑनलाईन लोकेशन रिवर्ट कर दी गई थी जो वर्तमान में भी आपकी आई.डी पर मौजूद है। आप द्वारा प्रस्तावित स्थल मानचित्र के सम्बन्ध में जगतपुरा व्यापार मण्डल महासचिव योगेश अग्रवाल, पार्षद रेखा करोल वार्ड नं0 119 जयपुर ग्रेटर नगर निगम जयपुर एवं पार्षद श्रीमती श्रवणी देवी वार्ड नं0 116 ग्रेटर नगर निगम जयपुर, दीपक गोस्वामी अध्यक्ष लाजपत नगर विकास समिति (रजि.) जगतपुरा जयपुर द्वारा उक्त स्थल पर लोकेशन स्वीकृत नही करने बाबत परिवाद जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जयपुर शहर में आकर प्रस्तुत किया व मदिरा दुकान लगने की स्थिति में उक्त जनाक्रोश की चेतावनी दी गई एवं श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक बगरू की उक्त स्थल पर मदिरा दुकान नही खोलने बाबत पत्र लिखते हुए अवगत कराया कि अगर प्रस्तावित दुकान स्वीकृत की जाती है तो उक्त जनाक्रोश की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

आबकारी निरीक्षक द्वारा यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि प्रस्तावित स्थल पर मदिरा दुकान स्वीकृत किया जाना संभव नहीं था। जिसके सम्बन्ध में आपको/आपके प्रतिनिधि को पूर्व में भी आबकारी निरीक्षक द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराते हुए नवीन निरापद स्थल का मानचित्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये थे। तत्पश्चात वृत्त कार्यालय द्वारा नोटिस क्रमांक 233 दिनांक 01.06.2022 एवं 325 दिनांक 20.06.2022 जारी कर जरिये ई–मेल एवं वार्टसअप से आपको भेजकर नवीन निरापद स्थल मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया,

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 23/06/2022 को दिया गया नोटिस

2

परन्तु फिर भी आप द्वारा आज दिनांक तक मदिरा दुकान स्वीकृति के लिए कोई नवीन निरापद स्थल मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम-1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम-1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा,राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भा.नि.वि.म. (IMFL), बीयर एवं वाईन की खुदरा (कम्पोजिट मदिरा दुकान) बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या-9.2 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है :-

शर्त संख्या-9.2 **अनुज्ञाधारी दुकाने प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानो की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजो सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं नियमानुसार सही पाये जाने पर ऑनलाईन लोकेशन स्वीकृति जारी की जायेगी तथा नियमों के विपरीत होने पर आवेदन पत्र निरस्त करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि प्रतिदाय (non refundable) होगी। साथ ही वह अन्य स्थान पर दुकान स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराकर आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को करना होगा।**

इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपको आवंटित कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिए नवीन निरापद स्थल का मानचित्र 03 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके पक्ष में जारी की गई स्वीकृति को निरस्त कर आप द्वारा जमा समस्त राशियां जब्तराज करली जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 23/..06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(एम.डी.मीना)
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि :-आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर दक्षिण-पूर्व को मय नोटिस की प्रति के संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की एक प्रति अनुज्ञाधारी से विधिवत तामील कराकर तामील रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय में प्रेषित करते हुए अनुज्ञाधारी को नवीन निरापद स्थल मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

//
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 23/06/2022 को दिया गया नोटिस-जारी

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय: पुलिस थाने के सामने, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर-302017

रेखा करोल
पार्षद, वार्ड नं.:119
मो.: [illegible]
[illegible]

निवास :
प्लॉट नं.: 1, जैन कॉलोनी,
बाढ करोल, जगतपुरा,
जयपुर-302017

क्रमांक: R/0 99 दिनांक.............................

सेवामें,

श्रीमान अशोक गहलोत साहब

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय:- 7 नंबर स्टैंड जगतपुरा जयपुर में शराब दुकान खुलने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 7 नंबर स्टैंड जगतपुरा में एक शराब दुकान पूर्व में चल रही है जिस पर हरदम जमघट लगा रहता है। अब सुनने में आ रहा है कि पूर्व में प्रताप नगर पानी की टंकी के पास संचालित शराब की दुकान यहाँ स्थानांतरित हो रही है। महोदय ऐसा होने पर पास में 2 मंदिर 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं हर वक्त कॉलोनी की महिलाओं को असुरक्षित आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाएगा कॉलोनी वासियों ने उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को अविलंब निर्देशित करे कि उक्त दुकान जो अनुज्ञाधारी राहुल शर्मा की है पूर्ववत चौपाटी प्रताप नगर ही संचालित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रतिलिपि:-

श्री परसादी लाल मीणा मंत्री आबकारी

श्रीमती गंगा देवी विधायक बगरू

श्री प्रकाश राजपुरोहित आयुक्त आबकारी

श्री राकेश शर्मा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी

श्री मालादीन मीणा जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर

श्रीमती प्रियंका खेड़ा वृत्त निरीक्षक आबकारी

रेखा करोल
पार्षद, वार्ड नं. 119
जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर

वार्ड संख्या 119 की पार्षद रेखा करोल द्वारा किया गया विरोध जबकि,यह दुकान उनके वार्ड मे आती ही नहीं है

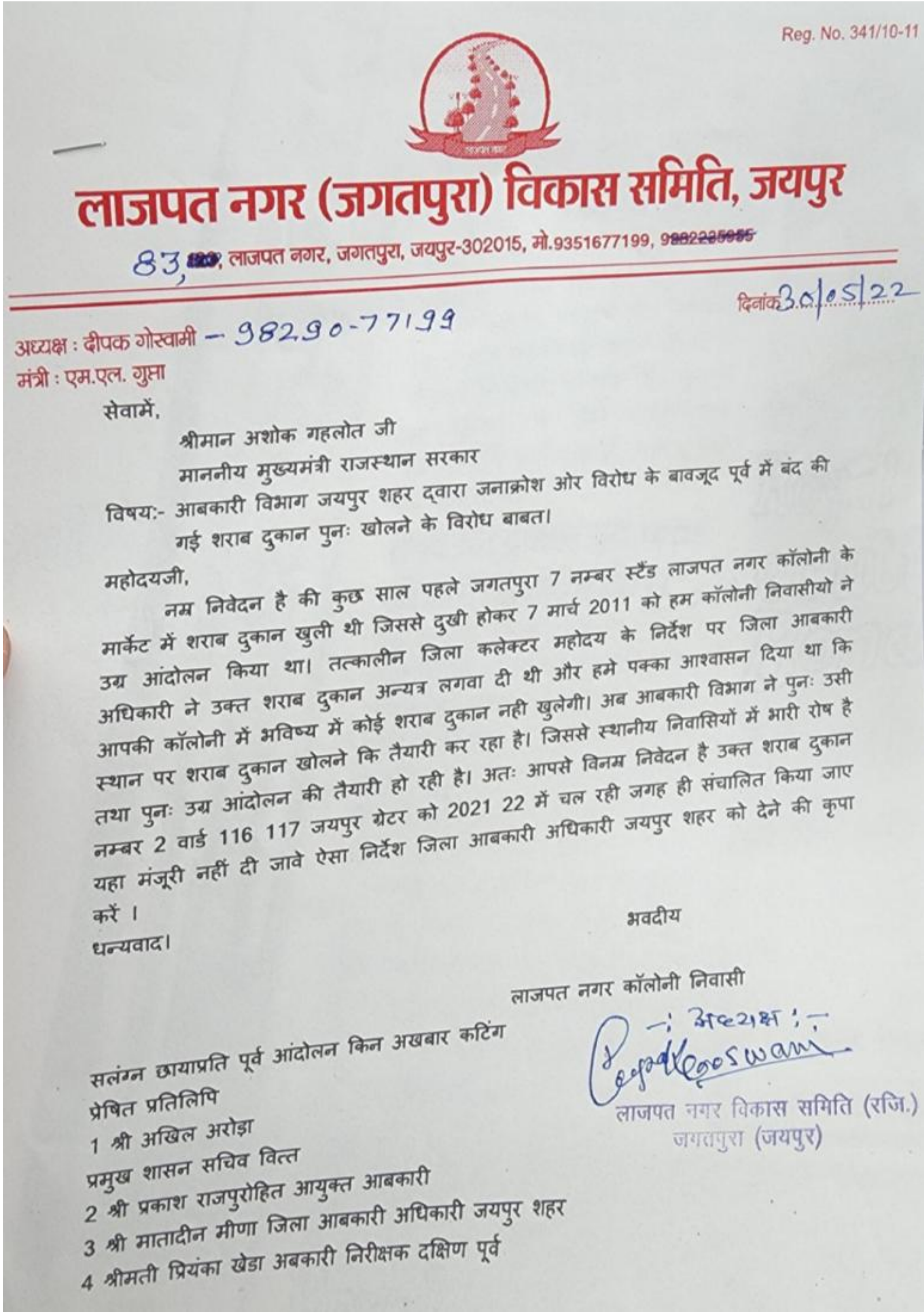

Reg. No. 341/10-11

लाजपत नगर (जगतपुरा) विकास समिति, जयपुर

83, ~~820~~, लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर-302015, मो.9351677199, ~~9882225685~~

दिनांक 30/05/22

अध्यक्ष : दीपक गोस्वामी – 98290-77199
मंत्री : एम.एल. गुप्ता

सेवामें,

श्रीमान अशोक गहलोत जी
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार

विषय:- आबकारी विभाग जयपुर शहर द्वारा जनाक्रोश और विरोध के बावजूद पूर्व में बंद की गई शराब दुकान पुनः खोलने के विरोध बाबत।

महोदयजी,

नम्र निवेदन है की कुछ साल पहले जगतपुरा 7 नम्बर स्टैंड लाजपत नगर कॉलोनी के मार्केट में शराब दुकान खुली थी जिससे दुखी होकर 7 मार्च 2011 को हम कॉलोनी निवासीयो ने उग्र आंदोलन किया था। तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी ने उक्त शराब दुकान अन्यत्र लगवा दी थी और हमे पक्का आश्वासन दिया था कि आपकी कॉलोनी में भविष्य में कोई शराब दुकान नही खुलेगी। अब आबकारी विभाग ने पुनः उसी स्थान पर शराब दुकान खोलने कि तैयारी कर रहा है। जिससे स्थानीय निवासियों में भारी रोष है तथा पुनः उग्र आंदोलन की तैयारी हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है उक्त शराब दुकान नम्बर 2 वार्ड 116 117 जयपुर ग्रेटर को 2021 22 में चल रही जगह ही संचालित किया जाए यहा मंजूरी नहीं दी जावे ऐसा निर्देश जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को देने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय

लाजपत नगर कॉलोनी निवासी

अध्यक्ष
Goswami
लाजपत नगर विकास समिति (रजि.)
जगतपुरा (जयपुर)

सलंग्न छायाप्रति पूर्व आंदोलन किन अखबार कटिंग

प्रेषित प्रतिलिपि
1 श्री अखिल अरोड़ा
प्रमुख शासन सचिव वित्त
2 श्री प्रकाश राजपुरोहित आयुक्त आबकारी
3 श्री मातादीन मीणा जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर
4 श्रीमती प्रियंका खेडा अबकारी निरीक्षक दक्षिण पूर्व

लाजपत नगर विकास समिति के अध्यक्ष श्री दीपक गोस्वामी से बातचीत करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनकी कॉलोनी बेनाडा फर्नीचर के पीछे स्थित है और उनके आने-जाने का रास्ता उसी चौराहे से है जिस पर यह दुकान है,परंतु लगता है अध्यक्ष महोदय को भी केवल आबकारी विभाग के "सुगम यातायात " के अनुसार केवल इसी दुकान से विरोध है चौराहे से लगती दो दुकानों से नहीं|

हो सकता है कि केवल राहुल शर्मा की दुकान पर आने वाले शराबी ही हुडदंगी,बदमाश और अपराधी प्रवृति के हो जो मोहल्ले के अनुसार क्षेत्र मे शराब पीकर बदमाशी करेंगे|जबकि राजवीर सिंह की दो दुकानों पर केवल सभ्य,शिक्षित और संस्कारी शराबी ही आते हो|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या यह रही नहीं है कि पिछले 15सालो से जगतपुरा के महल रोड स्थित 7 नंबर बस स्टेंड चौराहे की एक ही जगह पर चल रही थी दो भिन्न-भिन्न शराब लाईसेंसियों की शराब की दो दुकाने?
2. आखिर कैसे शराब लाईसेन्सी राजवीर सिंह एक लाइसेन्स से दो दुकानों मे चला रहा शराब की दुकान?
3. आखिर क्यूँ आबकारी विभाग अपने ही शराब ठेकेदारो से कर रहा पक्षपातपूर्ण रवैया?
4. आखिर कौन चला रहा है आबकारी विभाग?परसादी लाल मीणा या दूर दराज की विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले विधायक रफीक खान?
5. आखिर क्यूँ आबकारी विभाग के अधिकारी नियम कायदों को ताक मे रखकर बाहुबली विधायको और दूसरे विभाग के मंत्रियों को खुश करना चाहते है?आखिर क्यूँ आबकारी विभाग के अधिकारी बाहुबली विधायको और दूसरे विभाग के मंत्रियों को खुश करने के लिए कर रहे अपने पद का दुरुपयोग?
6. कहीं आबकारी अधिकारियों की लाईसेन्सी राजवीर सिंह के साथ पार्टनरशिप तो नहीं है इस दुकान मे?
7. यदि आबकारी अधिकारियों को जनाक्रोश का ही भय है तो कैसे आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आमेर रोड पर नियम विरुद्ध चल रही गब्बर वाईन्स को बंद करवाने के लिए फ़र्स्ट इंडिया टीवी के माध्यम से दी गयी चेतावनी को कर रहे है नजरअंदाज?क्या विभाग श्री राजपूत करणी सेना के अन्य मामलो मे किए गए हिंसक प्रदर्शनो को दोहराना चाहता है?
8. जिस दुकान के लिए लाईसेन्सी राहुल शर्मा ने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी सूचना विभाग के किन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लीक की गयी,जिसके चलते दुकान खुलने से पहले ही कागजी जनाक्रोश पैदा हो गया?क्यूंकी जिस दुकान “बेनाडा फर्नीचर” पर दुकान लगाने वाला था उस पर आज भी “बेनाडा फर्नीचर” का ही बोर्ड लगा हुआ है|
9. लाईसेन्सी राहुल शर्मा ने 24/05/2022 को लोकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उससे पहले कैसे हो गया कागजी जनाक्रोश?
10. जब जगतपुरा व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों और एक पार्षद महोदया द्वारा राहुल शर्मा के समर्थन मे अपने विरोध को वापस लिया और अपने समर्थन पत्र मे स्पष्ट किया गया कि लाईसेन्सी राजवीर सिंह ही दूसरे लाईसेन्सी राहुल शर्मा की दुकान नहीं लगने के लिए उकसा रहा है और उसके विरोध मे माहौल बना रहा है|तो इसके बावजूद विभाग के आला अधिकारियों ने इस षड़यंत्र की जांच क्यूँ नहीं करवायी?आखिर क्यूँ आला अधिकारी दे रहे विभाग मे भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टरराज को बढ़ावा?
11. कौन है लाईसेन्सी राजवीर सिंह,युनूस खान और मुश्ताक खान?और किस मंत्री और विधायक के है निजी रिश्तेदार?
12. दुकान ना खुलने की वजह से होने वाले राजस्व की हानि का असली जिम्मेदार कौन?ठेकेदार या विभाग के अधिकारी?
13. पहले भी एक विधायक के हस्तक्षेप से एक दुकान खोली और बंद की गयी थी,जिसके चलते विभाग को करना पड़ा था एक सीआई को एपीओ,क्या इस मामले मे भी विभाग करेगा ऐसी कार्यवाही?

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|